न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 50 / 2022

श्री जकीउर्रहमान,एडवोकेट,अदालत चौक टोंक

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक जिला टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 26.12.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1—ट्रेजरी टोंक द्वारा प्रिन्टेड स्आम्प मूल्य 100/— रूपये स्आम्प नम्बर एसी 60 7944 (आपके विभाग) टोंक द्वारा कब व किस दिनांक को जारी किया गया,किस वेण्डर को दिया गया,उसके नाम से भी अवगत करावे

2—आपके विभाग ट्रेजरी टोंक द्वारा 01.06.2015 से 30.06.2015 मे प्रिन्टेड स्टाम्प 100/— रूपये कुल कितने जारी किये गये तादाद से अवगत करावे,जिन वेण्डरो को उक्त दिनांक मे दिये गये उनके नाम से भी अवगत करावे।

3—01.06.2015 से 30.06.2015 मे बिना टिकिट लगाये (एडिशनल टिकिट मूल्य 100/— रूपये) किन—किन वेण्डरो को दिये गये,उनके नाम से भी अवगत करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक को पत्र कमांक 1687 दिनांक 09.12. 2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थितं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक ने उनके पत्र कमांक आर.टी.आई/2022/890 दिनांक 19.12.2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 871 दिनांक 16.11.2022 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक